

**फर्द अहकाम**  
 के गलाराम बनाम गौरीगणिका सिधौ

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर  
 मुख्यालय-जयपुर

11/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
29/01/24	<p>पत्रावली पेशा हुआ। अधिवक्ता वादीगण उपस्थित। वही संसद के तर्कों पर गहन विचार। पत्रावली के उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। वादीगण को गैरसे प्राप्त तर्कों व प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजों के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होना है कि वादीगण द्वारा कब्जे की अध्यागमन गण के आधार पर भूमि की स्वतन्त्रता प्राप्त करने का अनुलोप साध गया है तथा यह भी स्पष्ट किया गया है कि वादीगण के पूर्वजों द्वारा राज. वार. अधि. के प्रभाव में भूमि के पूर्व से ही गिरफ्तार भूमि पर कब्जा प्राप्त के रूप में वास्तविकता ज्ञात की है। तथा लगानुमी सकार को रुका किया जाता रहा है। पत्र वादीगण को गैरसे मूल वादावली भूमि आ.र.व. नं. 278/280/4 रकबा 15 बीघा अधि. उक्त संविधि खण्ड नम्बर के संदर्भ में ऐसा कोई कार्य दस्तावेजों का साक्ष्य/ गिरावारी प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः अन्तर्गत रकबा नम्बर 278 रकबा 15 बीघा अधि. 280</p> <p align="center">4</p> <p>उक्त का विवेक रकबा नम्बर को कौड़ी स्पष्ट उल्लेख हो। जो साक्ष्य दस्तावेज</p>	<p align="right">- P.T.O.</p>

